बिहार सरकार
समाहरणालय, नवादा
नवादा –805110
(जिला नजारत शाखा)

दूरभाष 06324–212253 (कार्या0)
06324–212240 (आवास)
06324–212904 (फैक्स)
email: dm-nawadah.bih@nic.in

बिहार सरकार

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु इस जिला से सभी प्रखंड–सह–अंचल कार्यालयों में एवं लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में निर्वाध विद्युत आपूर्त्ति के वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 5 KVA का जेनसेट भाड़े पर अधिष्ठापित किया जाना है। जेनसेट की भाड़े की दर निर्धारण हेतु इच्छुक फर्म/आपूर्त्तिकर्त्ता से मोहरबंद निविदा दिनांक–22/11/17 को 02:00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक–22/11/17 को ही 03:00 बजे अपराह्न में जिला स्तरीय निविदा समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा समिति के समक्ष उपस्थित रह सकते हैं।

निविदा की शर्त्तें :–

01. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में सील बंद कर प्रस्तुत किया जाएगा।
02. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।
03. तकनीकी निविदा वाले लिफाफें में निम्नलिखित कागजात रखें जाएगें :–
    (क) अग्रधन के रूप में 5,000/–(पाँच हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो जिला पदाधिकारी, नवादा के पदनाम से भुगतेय होगा।
    (ख) संबंधित फर्म का G.S.T. के तहत निबंधन एवं अद्यतन देयता संबंधी स्वच्छता प्रमाण–पत्र।
    (ग) आयकर दाता का होने का प्रमाण–पत्र एवं गत वित्तिय वर्ष का आयकर रिटर्न की प्रति।
    (घ) निविदाताता को किसी भी फौजदारी मुकदमा में संलिप्त अथवा सजायाफ्ता नहीं रहने से संबंधित कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ–पत्र।
    (ड़) काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ–पत्र।
04. वित्तिय निविदा वाले लिफाफे में ऑपरेटर के साथ भाड़े पर जेनसेट की आपूर्त्ति हेतु ईंधन सहित दर अंकित किया जाएगा।
05. निविदा में सफल निविदादाता को कार्यादेश में वर्णित तिथि तक जेनसेट की आपूर्त्ति इस जिला के सभी प्रखंड–सह–अंचल कार्यालयों एवं जिला/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में करनी होगी।
06. संबंधित फर्म द्वारा आपूर्त्ति की गयी जेनसेट के भाड़े का भुगतान संबंधी कार्यालय द्वारा परिचालन के दिनों की संख्या के अनुरूप लॉगबुक के जॉचोपरान्त किया जाएगा
07. भुगतान के समय सभी करों की कटौती श्रोत पर की जायेगी।
08. जेनसेट के ऑपरेटर का भुगतान संबंधित फर्म द्वारा किया जायेगा।
09. जेनसेट में खराबी आने की स्थिति में उसकी मरम्मती की जिम्मेदारी आपूर्त्तिकर्त्ता की होगी। मरम्मती एक दिन के अन्दर नहीं होने की स्थिति में आपूर्त्तिकर्त्ता को दूसरे जेनसेट आपूर्त्ति करनी होगी।
10. अधोहस्ताक्षरी को निविदा किसी भी समय बिना कारण बताये स्थगित करने अथवा रद्द करने का अधिकार होगा।

3/11/17
जिला पदाधिकारी,
नवादा।

Tender-Nazarat